ख़बर दार

प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को विश्वसनीयता प्रदान करने की मुहिम में लगे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स को एक लाभप्रद पड़ाव के रूप में इस्तेमाल करते हुए कहा, ''पानी के आधे भरे गिलास को लोग आधा भरा और आधा खाली कहते हैं। मैं इसे पूरा भरा कहता हूं, आधा पानी से और आधा हवा से।''

स्वयं को विकास पुरुष सिद्ध करने की रणनीति के चलते, ताकि वे सारे देश में प्रधानमन्त्री पद के योग्य स्वीकार किये जा सकें, मोदी कहना यह चाह रहे थे कि उनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रहता है जो विकास के रास्ते पर चलने वाले नेतृत्व का होना चाहिये। इस तरह मोदी अपनी एक संकीर्ण साम्प्रदायिक छवि से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जो फ़रवरी 2002 के गुजरात नरसंहार से उनके नाम के साथ चिपक गयी है।

मोदी का अपना गिलास यह सच है, हमेशा भरा रहा है

एक कट्टर आर एस एस कार्यकर्ता के रूप में उनका गिलास मुसलमानों के प्रति नफ़रत से भरा रहा है।

भाजपा में पदार्पण से उनकी गुजरात की राजनीति का गिलास इस महत्वकांक्षा से लबालब भरा रहा है कि वे कब और कैसे तत्कालीन भाजपाइ मुख्यमंत्रियों को हरा कर स्वयं उस गद्दी को हथिया लें।

अक्तूबर 2001 में केशु भाई पटेल को अपदस्थ करके मुख्यमंत्री बनते ही उनका गिलास इस षड्यन्त्र से भर गया कि अपने ही किसी मौजूदा विधायक, जिसकी सीट पूरी तरह सुरक्षित हो, की बलि चढ़ा कर वहां से स्वयं चुनाव जीतें। अन्ततः उन्होंने अपने ही गृह मन्त्री हरेन पांड्या की पहले

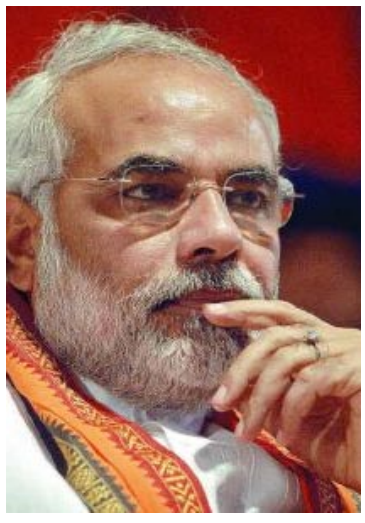

नरेन्द्र मोदी का भरा गिलास ?

राजनीतिक बलि और फ़िर जीवन बलि के क्रम में अपना भरा गिलास सिद्ध किया।

2002 के विधानसभा चुनावों में सफ़लता पाने के लिये मोदी ने गोधरा कांड की आड़ में एक बार फ़िर अपना गिलास भरा-मुसलमानों के खून से। यह जनसंहार हफ़्तों तक मोदी की सहमति के बिना चल ही नहीं सकता था।

स्वयं को कानून व्यवस्था एवं सुशासन का अलम्बरदार कहनेवाले मोदी के राज में शराब की तस्करी काली कमाई का

चेतन भगत या बगुला भगत ?

एक बहुत बड़ा स्रोत है। क्या राजनेता, क्या पुलिस और क्या माफ़िया सबकी इसमें चांदी हो रही है। कहने को गुजरात एक मद्यनिषेध वाला राज्य है पर हर नुक्कड़ पर शराब मिलती है और होम डिलिवरी भी धड़ल्ले से होती है।

मोदी का गिलास धनिकों और व्यापारियों और पंचसितारा शैली वाले लोगों के लिये तमाम उदार स्कीमों से भरा हुआ है। उनके राज्य के आदिवासियों व ग़रीब तबकों के लिये न तो कोई ठोस कदम उठाये गये हैं। और न प्रचारित किये जाते हैं। मोदी का गिलास उन षड्यन्त्रों से भरा पड़ा है जो उन्हें भाजपा में नम्बर एक के स्थान पर काबिज़ करा दें। इसके लिये उन्हें अपने वरिष्ठों एवं सहयोगियों को येन-केन-प्रकारेण अपने रास्ते से हटाने में कोई संकोच नहीं है।

मोदी की हिटलरशाही का गिलास अरुण जेटली, राम जेठमलानी, अमितशाह जैसे गोएबल्सों से भरा रहता है जो उनकी शान में नित्य नये तर्क व कसीदे पढ़ते रहते हैं।

मोदी का गिलास देश की जनता के शोषण से मोटे हो रहे व्यापारिक घरानों के समर्थन से भरा हुआ है क्योंकि मोदी की तरह उन्हें हर कीमत पर आक्रामक सहयोग देने वाला राजनीतिक सिपहसालार कोई दूसरा नज़र नहीं आता।

मोदी का गिलास उन सुविधापरस्त बुद्धिजीवियों एवं कलाकारों के प्रत्यक्ष एवं प्रछन्न समर्थन से भरा हुआ है जो मोदी के माध्यम से मिलने वाली मुफ़्तखोरी एवं प्रतिष्ठा पर आस लगाये बैठे हैं।

पुनश्चः लेखन एवं स्तम्भकार चेतन भगत का अगर बगुला भगत रूप देखना है तो उनके वे लेख या वक्तव्य देखिये जिनमें मोदी को गुजरात नरसंहार की जवाबदेही से बरी किया जाता है। मोदी की सफाई में कभी चेतन भगत तकनीकी तर्क देते नज़र आते हैं, कभी भावनात्मक अपील करते हैं, कभी दार्शनिक नियमावली को पकड़ते हैं और कभी तुलनात्मक अध्ययन से दूसरों को मोदी से बड़ा राक्षस सिद्ध कर देते हैं। दिनांक 25 फरवरी 2013 को 'टाइम्स ऑफ़ इन्डिया' में चेतन भगत का लेख है, ''टाइम टु फ़ेस आवर डीमन्स''। इसमें मोदी का नाम कहीं नहीं होते हुए भी सारा लेख मोदी के पक्ष में लिखा हुआ एक आरोप पत्र है। इसके निशाने पर है भारत का आम नागरिक।

चेतन भगत का इस लेख में मुख्य तर्क है कि भारत के आम लोग देश से ज़्यादा अपने समुदायों को मानते हैं और इस तरह एक तबका दूसरे के प्रति घृणा एवं वैमनस्य की भावना रखता है।

उनका निष्कर्ष है कि सामप्रदायिक नरसंहार, गुजरात नरसंहार समेत, के लिये मोदी जैसे राजनेता को नहीं देश के आम नागरिक को दोषी माना जाना चाहिये। इसे कहते हैं पीड़ित को कटघरे में खड़ा करना। भगत साहब यह बताना जरूरी नहीं समझते कि जब सामप्रदायिक उत्पादों से वोटों की फ़सल राजनेता काटते हैं तो इन्हें करने में आमजन की रूचि क्यों होगी जबकि इनका खामियाजा जान एवं माल के नुकसान से आम तबकों को ही चुकाना पड़ता है।

-त्रिनेत्र

तुर्की-ब-तुर्की

किसी भी मामले का फैसला अदालत में ही होना चाहिए। मीडिया द्वारा किसी को भी दोषी करार दे देना चिंता की बात है।

- अल्तमस कबीर
प्रधान न्यायाधीश

हमारा कहना है-

अदालतें समय पर फ़ैसला कर पायें तब न।
मीडिया रिपोर्टिंग न करे तो मीडिया किस बात का।
अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता जैसी भी कोई चीज है माई लॉर्ड।
मीडिया से क्या घबराना जब फ़ैसला अदालत का ही चलता है।

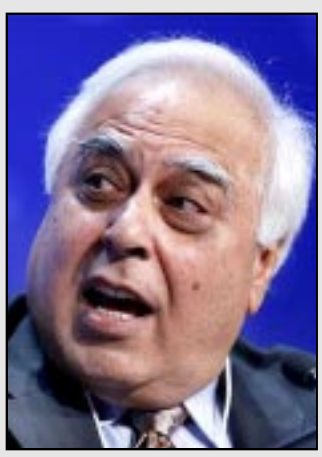

भारत में अगर किसी चीज की कमी है तो वह है इंसाफ। इंसाफ के मूल्यों से जुड़े बगैर कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता।

- कपिल सिब्बल
केन्द्रीय सूचना प्रौ. मंत्री

हमारा कहना है-

सबसे बड़ी बेइन्साफ़ी है शोषण और असमानता जो आपकी सरकारी नीतियों से लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो आपकी सरकार ने देश को एकमात्र पैसे के मूल्यों से क्यों जोड़ रखा है? भारतवासियों में इन्साफ़ के प्रति पूरी निष्ठा है। पर आपने इन्साफ़ को व्यापार बना दिया है जिसमें बड़ी बोली लगाने वाले ही माल उठाते हैं।

मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ। मैंने किसी से दया की अपील नहीं की है और न ही किसी को ऐसा करने के लिए कहा है।

- बलवंत सिंह राजोआणा
बब्बर खालसा का आतंकी

हमारा कहना है-

तुम्हारे फ़ांसी लटकने या न लटकने से समाज के आम आदमी को क्या लाभ?
मरने का शौक है या अमर होने का?
बेअन्त सिंह को तुमने शहीद कहलवाया, अब राज्य तुम्हें शहीद बनाये?

आधार योजना विरोध

नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने न्यायमूर्ति वी एम तारकुण्डे स्मारक भाषण का भारी विरोध करते हुए उसका बहिष्कार किया। आयोजकों ने इस कार्यक्रम में भाषण देने के लिये यूनिक आइडेण्टीफिकेशन आथोरिटी ऑफ इण्डिया (यूआईडीएआई) के चैयरमैन नन्दन मनोहर नीलकानी को आमंत्रित किया था। यह विडम्बना ही है कि मानवाधिकार के लिये जीवन भर संघर्ष करने वाले और पिपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी के संस्थापक न्यायमूर्ति तारकुण्डे की याद में मानवाधिकारों की मजबूती तथा नागरिक स्वतंत्रता विषय पर भाषण के लिये एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया जो एकल पहचान पत्र जैसे विवादास्पद और अनेक सवालों से घिरी परियोजना से जुड़ा हो। जिन कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया, उन्होंने कई बार निलकानी को जनमंचों पर बहस में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया, किन्तु उन्होंने हर बार आने से मना कर दिया और उनके किसी भी सवाल का जवाब देने या उनसे बहस करने से साफ इन्कार कर दिया।

कार्यकर्ताओं ने शुरू से ही यू आईडी परियोजना को मानवधिकारों के लिये खतरा बताते हुए इसका विरोध किया था। इस सम्बन्ध में उन्होंने अपना बयान भी जारी किया था। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि एकल पहचान पत्र परियोजना का इस्तेमाल जनता की निजता और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के लिये किये जाने की आशंका है। उन्होंने मांग की थी कि इस परियोजना पर बहस करायी जाय, परियोजना के सभी व्यवहारिक पहलुओं को मीडिया द्वारा जनता में प्रचारित किया जाय, विशेषज्ञों के द्वारा उसके संवैधानिक पक्षों का अध्ययन हो, इसके हानि-लाभ के बारे में विश्लेषण किया जाये और जनता को बताया जाये, इत्यादि।

यूआईडी का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों में न्यायमूर्ति बीआर कृष्णा अय्यर, प्रो. रोमिला थापर (इतिहासकार) कविता श्रीवास्तव (वकील), निखिल डे, प्रो. उमा चक्रवर्ती प्रो.उपेन्द्र बख्शी सहित अन्य कई बुद्धिजीवी शामिल थे।

स्त्री को इज्जत कैसे मिलेगी

आज यह बात सब मानने लगे हैं कि लड़के-लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। सब बराबर हैं। अब लड़कियां मेहनत व अपने टैलंट के बल पर न सिर्फ अच्छी एजुकेशन हासिल कर रही हैं, बल्कि उन नौकरियों में भी जाने लगी हैं जिनमें अब तक नहीं जा पाती थीं। लेकिन क्या कारण है कि स्त्री के साथ होने वाली ज्यादती कम नहीं हो पा रही है? अपराध का ग्राफ नीचे उतरता नजर नहीं आ रहा है। बचपन से वृद्धावस्था तक समाज में लड़के व लड़की को मिलने वाली सुविधाओं पर एक नजर डालने से सब कुछ साफ हो जाता है।

परिवार चाहे शिक्षित हो अथवा अशिक्षित, अमीर हो या गरीब, आज भी 90 प्रतिशत घरों में लोग बेटा ही चाहते हैं। यह अलग बात है कि यह बात वे खुले तौर पर स्वीकार नहीं करते। ऐसा नहीं है कि बेटी के जन्म लेने पर वे उसे स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करते हैं। कई परिवार बच्ची को अच्छी शिक्षा व परवरिश देने की कोशिश भी करते हैं लेकिन सबसे पहले उनके मन में यह धारणा पुख्ता हो जाती है कि लड़की को संस्कारों के साथ ही परंपराओं का पालन करना भी सिखाना है। लेकिन यह इच्छा बेटे के मामले में नहीं होती। उसे संस्कार दिए तो जाते हैं लेकिन यह छूट भी होती है कि वह अपनी मर्जी का मालिक है।